भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3792
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

एमसीआई का गठन और संचालन संबंधी स्थिति

3792 श्री संजीव अरोड़ा :
क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) मध्यकता अधिनियम, 2023 के तहत भारतीय मध्यकता परिषद् (एमसीआई) के गठन की वर्तमान स्थिति क्या है ;
(ख) सरकार द्वारा परिषद् के संचालन और इसके सदस्यों की नियुक्ति के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है ; और
(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि परिषद् संस्थागत मध्यकता को बढ़ावा दे और भारत के वैकल्पिक विवाद समाधान पारितंत्र को मजबूत करे ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : मध्यकता अधिनियम, 2023, विवाद के पक्षकारों द्वारा अंगीकार किए जाने के लिए मध्यकता के कानूनी ढांचे का अभिकथन करता है, विशेषतया संस्थागत मध्यकता, जिसमें विभिन्न पणधारियों को देश में सख्त तथा प्रभावकारी मध्यकता पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए परिलक्षित किया गया है। मध्यकता अधिनियम, 2023 की धारा 1(3) के अधीन यथा उपबंधित, अधिनियम के कुछ उपबंध राजपत्र अधिसूचना, तारीख 09.10.2023 द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। साथ ही, मध्यकता अधिनियम, 2023 की धारा 31 के अधीन भारत की मध्यकता परिषद् की स्थापना के लिए अपेक्षित कदम प्रक्रियाधीन हैं, जो अन्य बातों के साथ, देश में मध्यकता के संचालन के संस्थानीकरण के ढांचे का व्यौहार करते हैं तथा प्रक्रिया में एकरूपता लाते हैं। सरकार आगे निरंतर रूप से विभिन्न पणधारियों से जुड़ रही है, जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण भी हैं, जिससे मध्यकता पारिस्थितकी तंत्र के संस्थानीकरण का उद्देश्य रखते हुए, मध्यकता अधिनियम, 2023 के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन की तैयारी की जा सके तथा जागरूकता बढ़ायी जा सके ।

****